बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बिहार, पटना।

क्र0सं0	सूचना	प्रतिउत्तर
01	बिन्दु संख्या-1 अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य;	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नियमावली (संलग्न)।
02	बिन्दु संख्या-2 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य	अधिकारियों/कर्मचारी की आवंटन कार्य आदेश (संलग्न)।
03	बिन्दु संख्या-3 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;	कार्यालय मामलों की समीक्षा में बाल संरक्षण पदाधिकारी स्तर से लेकर सचिव एवं माननीय अध्यक्ष का उत्तरदायित्व रहता है। (संलग्न)।
04	बिन्दु संख्या-4 अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड;	आयोग अपने कार्यो का निष्पादन विभिन्न विषयों से संबंधित आयोग के नियमावली के आधार पर किया जाता है। (नियमावली संलग्न)।
05	बिन्दु संख्या-5 अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बिहार, पटना का नियमावली (संलग्न)।
06	बिन्दु संख्या-6 ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बिहार, पटना का नियमावली (संलग्न)।
07	बिन्दु संख्या-7 किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;	-
08	बिन्दु संख्या-8 ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकें के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अन्तर्गत कोई निकाय नहीं है।
09	बिन्दु संख्या-9 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,बिहार, पटना में पदस्थापित पदाधिकारियों/ कर्मचारी की सूची (संलग्न)।
10	बिन्दु संख्या- 10 अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो; (संलग्न)।

11	बिन्दु संख्या- 11 सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बजटीय स्थितिः-
12	बिन्दु संख्या- 12 सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं ;	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सहायिकी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य नहीं किये जाते हैं।
13	बिन्दु संख्या- 13 अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं की विशिष्टियां;	यह कार्य बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित नहीं है।
14	बिन्दु संख्या- 14 किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में न तो कोई सूचना धारित की गयी है और न ही किसी संस्था आदि को उपलब्ध करायी गयी है।
15	बिन्दु संख्या-15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं ;	आयोग कार्यालय में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।
16	बिन्दु संख्या-16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियों ;	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नं0 विहित प्रपत्र में (संलग्न)।
17	बिन्दु संख्या-17 ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन/ विशेष प्रतिवेदन अद्यतन कर प्रकाशित किया जाता है। (संलग्न)।

30

बिहार सरकार
बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग
22/बी0, हार्डिंग रोड, पटना।

कार्यालय आदेश सं0- दिनांक-

कार्यालय आदेश

पदाधिकारियों के बीच कार्य वितरण से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक- 662 दिनांक- 10.07.2018 के संशोधन के फलस्वरूप कार्य वितरण की स्थिति निम्नवत है:-

क्र0	नाम	पदनाम	कार्य	लिंक पदा0/ कर्मचारी	आवंटित कर्मचारी
1	श्रीमती कुमारी अनिता चौधरी	बाल संरक्षण पदाधिकारी	स्थापना, बाल तस्करी, बाल विवाह, पोक्सों एक्ट सभी प्रकार का दस्तावेजीकरण (गृह का निरीक्षण छोड़कर), समाचार पत्र, पुस्तकालय, शोध, संधि, बाल श्रम, लोक सूचना पदाधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित मामले, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सी0आर0सी0, बाल अधिकार, बाल अपराध, गैर सरकारी संस्थान (एन0जी0ओ0) बैठक का आयोजन, सभी प्रकार के गृह, जाकरूकता, आयोग द्वारा किया गया भ्रमण या निरीक्षण संबंधी कार्य, अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा निदेशित अन्य कार्य।	श्रीमती किरण बाला श्री रजनीश कुमार, (लेखापाल) श्री राज कुमार सिंह, (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर)	श्री प्रेम नीति कुमार, (आशुलिपिक) श्री रोहित श्रीवास्तव, (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर) आई0टी0 ब्यॉय/गर्ल
2	श्रीमती किरण बाला	बाल संरक्षण पदाधिकारी	लेखा, जे0जे0 एक्ट, एस0जे0पी0यू0, विधान सभा एवं विधान परिषद से संबंधित कार्य, विशेष न्यायालय, सेमिनार का आयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय संस्था, वेबसाइट/ सुरक्षा /सेवा प्रदस एजेन्सी, शिकायत निवारण प्रणाली, मीडिया व IEC प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक कार्य योजना, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, निविदा संबंधी कार्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा निदेशित अन्य कार्य।	श्रीमती कुमारी अनिता चौधरी श्री रोहित श्रीवास्तव, (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर)	श्री रजनीश कुमार, (लेखापाल) श्री राज कुमार सिंह, (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर) आई0टी0 ब्यॉय/गर्ल

उक्त संबंध में पूर्व निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित माने जायेंगे।

ह0/–
सचिव
बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
बिहार, पटना।

बिन्दु संख्या-3 विनिश्चय करने क़ी प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं पर्यवेक्षण एवं उत्तर दायित्व का माध्यम :-

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यों में निर्णय लेने के पदसोपान निम्नवत हैं:-

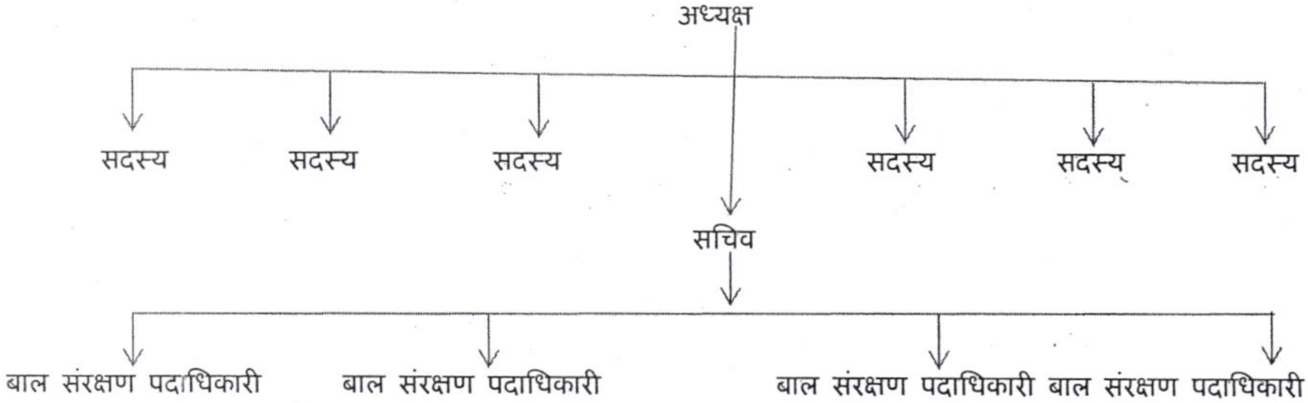

कार्यालय मामलों की समीक्षा में बाल संरक्षण पदाधिकारी स्तर से लेकर सचिव एवं माननीय अध्यक्ष का उत्तरदायित्व रहता है।

बिन्दु संख्या-9 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,बिहार, पटना में पदस्थापित पदाधिकारियों/ कर्मचारी की सूची :-

क्र0सं0	नाम	पदनाम	मोबाईल नं0
01	प्रो0 (डॉ0) प्रमिला कुमारी	अध्यक्ष	9801597089 9801597089
02	श्रीमती सुनन्दा पाण्डेय	सदस्य	9473240812
03	श्री रमेश कुमार झा	सचिव	9431632413
04	श्री प्रशांत मिश्रा	प्रशासी पदाधिकारी	8544428517
05	श्री शम्भू कुमार रजक	बाल संरक्षण पदाधिकारी	9334906835
06	श्रीमती कुमारी अनिता चौधरी	बाल संरक्षण पदाधिकारी	9431005012
07	श्री राजेश किशन	बाल संरक्षण पदाधिकारी	8340341194
08	श्री प्रेम नीति कुमार	आशुलिपिक	8603269358
09	श्री रजनीश कुमार	लेखापाल	9431078242
10	श्री रोहित श्रीवास्तव	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	9386680488
11	श्री राज कुमार सिंह	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	8409233641
12	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	अनुसेवक	9507098410
13	श्रीमती संगीता देवी	अनुसेवक	9097705675

बिन्दु संख्या- 10 अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;

क्र0सं0	नाम	पदनाम	बेसिक पे	लेवल
01	प्रो0 (डॉ0) प्रमिला कुमारी	अध्यक्ष	225000	17
02	श्रीमती सुनन्दा पाण्डेय	सदस्य	144200	14
03	श्री रमेश कुमार झा	सचिव	-	-
04	श्री प्रशांत मिश्रा	प्रशासी पदाधिकारी	65240	9
05	श्री शम्भू कुमार रजक	बाल संरक्षण पदाधिकारी	65240	9
06	श्रीमती कुमारी अनिता चौधरी	बाल संरक्षण पदाधिकारी	80840	11
07	श्री राजेश किशन	बाल संरक्षण पदाधिकारी	53100	9
08	श्री प्रेम नीति कुमार	आशुलिपिक	31400	4
09	श्री रजनीश कुमार	लेखापाल	-	-
10	श्री रोहित श्रीवास्तव	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	16508	CONTRACT
11	श्री राज कुमार सिंह	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	16508	CONTRACT
12	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	अनुसेवक	10395	CONTRACT
13	श्रीमती संगीता देवी	अनुसेवक	10395	CONTRACT

बिन्दु संख्या-16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ ;

क्रम सं०	नाम	पदनाम	मोबाईल नं०
01	श्रीमती कुमारी अनिता चौधरी	बाल संरक्षण पदाधिकारी – सह-लोक सूचना पदाधिकारी	9431005012

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना प्रारूप

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, (संशोधन) नियमावली, 2012

बाल संरक्षण अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2010 के संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:– यथा:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ:– (1) यह नियमावली बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियमावली, 2012 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2010 के नियम 8 (7)(ख) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

अध्यक्ष यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता से संबंधित विपत्रों के बावत स्वयं नियंत्री पदाधिकारी होगा। अन्य सदस्यों के यात्रा भत्ता से संबंधित विपत्रों के बावत अध्यक्ष नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

3. उक्त नियमावली, 2010 के नियम 10 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

वाहन सुविधा :– अध्यक्ष एवं सदस्य, मात्र शासकीय प्रायोजन से यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित वाहन सुविधाओं का हकदार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव,
बिहार सरकार, पटना।

ज्ञापांक–10/विविध–57/2006 – 771 पटना, दिनांक:– 29/03/12

प्रतिलिपि:–सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक–सह–आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव,
बिहार सरकार, पटना।

ज्ञापांक–10/विविध–57/2006 – 772 पटना, दिनांक:– 29/03/12

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इसे असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 2000 प्रतियाँ मुद्रित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।

सरकार के सचिव,
बिहार सरकार, पटना।

338 (94) (328) (48) 94.

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2010

बाल संरक्षण अधिनियम, 2005 (2006 का 4) आयोग की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथाः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः–(1) यह नियमावली बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. परिभाषा– जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में:–

(1) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिनियम, 2005 (2006 का 4)।

(2) ''शिशु'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो

(3) ''आयोग'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 17 के अधीन गठित बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु बिहार आयोग।

(4) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है राज्य आयोग का अध्यक्ष।

(5) ''बाल अधिकार'' से अभिप्रेत है बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1989 में स्वीकृत तथा 11 दिसम्बर, 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित शिशुओं के अधिकार।

(6) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है राज्य आयोग का सदस्य एवं इसमें अध्यक्ष भी शामिल है।

(7) ''सचिव'' से अभिप्रेत है आयोग का सचिव।

(8) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

(9) इस नियमावली में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्ति जो अपरिभाषित है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है के कमशः वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में समनुदेशित किये गये हों।

व्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की पात्रता--(1) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा:--

(क) अध्यक्ष, जो अग्रगण्य व्यक्ति हों और जिसने बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो।

(ख) छः सदस्य, जिनमें से कम से कम दो निम्नलिखित क्षेत्रों से महिलायें होंगी जिनकी नियुक्ति अग्रगण्य, योग्य, सत्यनिष्ठ, प्रतिष्ठित और अनुभव प्राप्त व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(I) शिक्षा

(II) बाल स्वास्थ्य, देख--रेख, कल्याण बाल विकास।

(III) किशोर न्याय या उपेक्षित या उपांतिक शिशुओं या निःशक्त शिशुओं की देखभाल।

(IV) बाल श्रम या बाल कष्ट का निवारण।

(V) बाल मनोविज्ञान या समाज शास्त्र और

(VI) शिशुओं से संबंधित विधि।

(2) जो व्यक्ति पूर्व लेखा में मानवाधिकार या बाल अधिकार के उल्लंघन के किसी पिछले रिकार्ड वाला हो आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति--(1) बिहार सरकार अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्त करेगी।

(2) समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित त्रिसदस्यीय चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष और सदस्यगण नियुक्त किये जायेगें ।

5. अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की पदावधि--(1) अध्यक्ष तीन वर्षो से अनाधिक अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहेंगे, बशर्ते उन्हें धारा 7 के अधीन पदमुक्त न किया जाए।

(2) हरेक सदस्य तीन वर्षों से अनाधिक अवधि तक या 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा, बशर्ते उसे धारा 7 के अधीन पदमुक्त न किए जाय।

(3) उप नियम (1) उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी

(I) अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने का पात्र होगा और

(II) सदस्य का पद धारण करने वाला व्यक्ति सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने का या अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने का पात्र होगा।

(III) परन्तु अध्यक्ष या सदस्य किसी भी हैसियत में दो पदावधि तक पद धारण करने वाला व्यक्ति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नाम निर्दिष्ट किए जाने का पात्र नहीं होगा।

(4) यदि अध्यक्ष बीमारी या अन्य असमर्थता के कारण अपने कृत्यों के निर्वाहन में असमर्थ है तो राज्य सरकार किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट करेगी और इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्य अध्यक्ष का पद तब तक धारण करेगा जब तक कि अध्यक्ष पद पर योगदान न कर ले या उनकी पदावधि की शेष अवधि तक।

(5) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने स्वलिखित पत्र द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा।

(6) मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति ऐसी रिक्ति की होने की तिथि से 90 दिनों के अन्तर्गत धारा 18 के उपबंध के अनुसार नई नियुक्ति कर भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस पद की पदावधि की शेष अवधि तक पद धारण करेगा जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई हो।

6. पद से हटाया जाना–(1) सिद्ध दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार के आदेश से अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्यः–

(I) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता हो, या

(II) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से अलग किसी संदत्त नियोजन पर लग जाता हो, या

(III) कार्य करने से इनकार करता हो या कार्य करने में असक्षम हो जाता हो या

(IV) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता हो, या

(V) अपने पद का इस तरह दुरूपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो, या

(VI) किसी ऐसा अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो और कारावास से दंडादिष्ट किया गया हो, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, या

(VII) आयोग से अनुपस्थिति की छूट्टी लिए बिना आयोग की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

(3) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक हटाया नहीं जायेगा जबतक कि उसे मामलों की सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिय जाता।

(4) यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य नियम 6(1) और (2) में उल्लिखित किसी भी निरर्हता के अध्यधीन आ जाता हो, या अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन अपना त्यागपत्र सौंप देता हो तो तदुपरांत उसका पद रिक्त हो जायेगा।

7. **रिक्ति के दौरान कार्यवाहियों की विधि मान्यता, आदि**

आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अवैध नहीं होगी कि

(क) आयोग में कोई रिक्ति है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है, या

(ख) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है,

(ग) आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

8. **आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते**—(1) अधिनियम की धारा 20 में यथा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर अध्यक्ष का वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव के वेतन के समतुल्य वेतन होगा एवं प्रत्येक अन्य सदस्य का वेतन राज्य सरकार के सचिव के वेतन के समतुल्य होगा। परन्तु जहाँ अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवक हो या अर्ध सरकारी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान का सेवा निवृत्ति सेवक हो वहाँ उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या उपान्तिक लाभों के पेंशनरी मूल्य या दोनों सहित भुगतेय वेतन लिए गए अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य बिहार सरकार की सेवा में हो तो उसका वेतन उनके लिए लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

महँगाई भत्ता-- अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार की समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों के लिए अनुमान्य दरों पर अपने वेतन के अनुसार महँगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।

) नगर क्षतिपूरक भत्ता-- अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार की समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य दरों पर अपने वेतन के अनुसार नगर क्षतिपूरक भत्ता प्राप्त करेंगे।

(5) छूट्टी-- अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य निम्नवत छूटटी के हकदार होंगे।

(क) राज्य सरकार का समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य दरों पर उपार्जित छूट्टी, आधे वेतन पर छूट्टी और रूपान्तरित छूटटी।

(ख) राज्य सरकार की समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य दरों पर असाधारण छूट्टी अनुमान्य दर से प्राप्त करेंगे।

(6) छूट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी--

(क) अध्यक्ष को छूट्टी स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार सक्षम प्राधिकार होगा।

(ख) सचिव एवं प्रत्येक सदस्य की छूट्टी स्वीकृत करने के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार होगा।

(ग) आयोग के किसी पदाधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी को छूट्टी स्वीकृत करने के लिए सचिव सक्षम प्राधिकार होगा।

(7) यात्रा भत्ता:-- (क) अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार की समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य दरों पर यात्रा एवं दैनिक भत्ते लेने का हकदार होगा।

(ख) अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते से संबंधित अपने विपत्रों की बाबत स्वयं नियंत्री पदाधिकारी होगा। ??

9. आवासीय सुविधा--अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित मकान किराया भत्ता का हकदार होगा।

10. वाहन सुविधा-- अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य शासकीय एवं निजी प्रयोजन से यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वाहन सुविधाओं का हकदार होगा।

11. चिकित्सीय उपचार की सुविधा-- अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य समतुल्य पंक्ति के राज्य सरकार के सेवकों के लिए लागू या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित चिकित्सीय उपचार और अस्पताल में इलाज कराने का हकदार होगा।

...िष्ट उपबंध– अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की वैसी सेवा शर्तें, जिनके लिए इस नियमावली में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया हैं वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

आयोग के कृत्य– आयोग उन सभी या किसी कृत्य का संपादन करेगा जो उसे अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ट) तक, धारा 14 और 15 के अधीन समनुदेशित किया गया हो, यथा:–

(1) बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए विद्वयमान विधि, नीति और प्रर्था का विश्लेषण करना।

(2) शिशुओं को प्रभावित करने वाली प्रथा या नीति के किसी पहलु की जॉच पड़ताल करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित नये विधान पर मंतव्य देना।

(3) बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रक्षोपाय की कार्य प्रणाली पर राज्य सरकार को वार्षिक और ऐसे अनय अन्तरालों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जैसा कि आयोग उचित समझे,

(4) बाल अधिकरों के संरक्षण राष्ट्रीय आयोग के साथ समन्वय करना तथा अंतरंगता स्थापित करना।

(5) आयोग ऐसे मुद्दे पर विचार नहीं करेगा या उसकी जांच पड़ताल नही करेगा जो बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग के विचाराधीन हो।

(6)जहॉ स्वयं शिशुओं द्वारा या उनकी ओर से सम्बद्ध व्यक्ति चिन्ता व्यक्त की गई हो वहॉ औपचारिक जॉच–पड़ताल करना।

(7) बाल अधिकारों के उल्लंधनों की शिकायतों की जॉच पड़ताल करते समय आयोग राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकार या संगठन से यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना या प्रतिवेदन की मांग करे सकेगा। किन्तु

(क) यदि आयोग द्वारा नियत समय–सीमा के भीतर सूचना या प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता हो तो वह स्वयं शिकायत की जॉच पड़ताल करने की कार्रवाई कर सकेगा।

(ख) यदि सूचना या प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग का समाधान हो जाए कि आगे किसी जॉंच की आवश्यकता नहीं है या यह कि अपेक्षित कार्रवाई संबद्ध सरकार या प्राधिकार द्वारा प्रारंभ कर दी गई है तो वह उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा और तदनुसार शिकायतकर्ता को सूचित कर सकेगा।

(8) यह सुनिश्चित करना कि आयोग के कार्य शिशुओं के प्रत्यक्षतः सूचित विचारों पर आधारित हो ताकि उनकी प्राथमिकताएँ एवं परिप्रेक्ष्य परिलक्षित हो।

(9)अपने कार्यो में तथा बच्चों के संबंधित सभी सरकारी विभागों और संगठनों में बच्चों के विचारों को प्रोत्साहित करना, उनका सम्मान करना एवं उनपर गंभीरता पूर्वक विचार करना।

(10) बच्चों से संबंधित ऑकड़े संकलित एवं उनका विश्लेषण करना। आयोग विशेषज्ञों एवं शोध संस्थानों के सहयोग से ऑकड़ा संकलन एवं संग्रहण का विशेष कार्यक्रम चला सकेगा यदि आयोग को यह महसूस होता हो कि किसी विषय विशेष कर पर्याप्त ऑकड़े उपलब्ध नहीं है।

(11) बाल अधिकारों के बारे में जानकारी विकसित करना और उनका प्रचार–प्रसार करना जिसमें अपना बेवसाइट बनाना भी शामिल है।

(12) विद्यालय के पाठयक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, पुलिस एवं सरकारी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा शिशुओं से संबद्ध रखने वाले अन्य कार्मिकों के प्रशिक्षण में बाल अधिकारों के समावेशन को प्रोत्साहित करना।

14. कारबार के संव्यवहार की प्रक्रियाः–(1) आयोग अपने पटना स्थित कार्यालय में ऐसे समय में नियमित बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष उचित समझे, किन्तु इसकी पिछली एवं अगली बैठक के बीच तीन माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

(2) आयोग की बैठक इसके कार्यालय में होगी अध्यक्ष अथवा सदस्य विशेष यदि आवश्यक समझे अथवा ऐसा करना समीचीन हो तो अपनी बैठकें राज्य के किसी अन्य स्थान पर कर सकेगा।

(3) जिनमें तत्काल ध्यान देना अपेक्षित हो उन मामले को छोड़कर सामान्यतया बैठक से कम से कम दो स्पष्ट कार्य दिवस पूर्व कार्य सूची प्रत्येक सदस्य को प्रचारित किया जयेगा।

(4) आयोग की हरेक बैठक में अध्यक्ष सहित चार सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।

(5) आयोग की बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेगें, परन्तु बराबर–बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(6) यदि अध्यक्ष, किसी कारणवश आयोग की बैठक में शमिल होने से असमर्थ हो, तो उपस्थित पदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

15. बैठक का कार्यवृतः–(1) आयोग के प्रत्येक बैठक की कार्यवाही बैठक के दौरान ही, या उसके तुरन्त बाद सचिव द्वारा या आयोग के किसी यथा निदेशित अन्य पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा।

(2) आयोग की बैठक की कार्यवाही अनुमोदन हेतु अध्यक्ष की समर्पित की जाएगी और सभी सदस्यों को यथाशीघ्र तथा किसी भी दशा में अगली बैठक के प्रारंभ के पर्याप्त पूर्व प्रचारित की जाएगी

(3) आयोग द्वारा लिये गये हरेक मामले में इसका निष्कर्ष राय और विसम्पति टिप्पणीयों, यदि कोई हो अभिलिखित किया जायेगा और वह भी उसका भाग होगा तथा अभिलेख में रखा जाएगा। जहॉ कोई मतभिन्नता हो वहॉ बहुमत की राय के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

(4) आयोग के सभी आदेश एवं निर्णय सचिव या इस निमित अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से सचिव द्वारा प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेगे।

(5) बैठकों की कार्यवाहियों पर आयोग के सचिवालय द्वारा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी, जब तक कि उसे अध्यक्ष संपुष्ट न कर दें बशर्ते विनिर्दिष्टतः प्राधिकृत न किया गया हो।

(6) आयोग की सभी बैठकों एवं विचारों के अभिलेख की मूल प्रति सचिव द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित कराकर रखी जायेगी।

(7) हरेक मद से संबंधित कार्यवाही की प्रति उपयुक्त कार्रवाई हेतु सुसंगत संचिकाओं में रखी जायेगी। विचारों को सुसंगत अभिलेखों में रखा जायेगा और सुविधा के लिए उसकी प्रतियॉ उपयुक्त अनुक्रमणिका के साथ रक्षक संचिका में संधारित की जायेगी।

16. की गयी कार्रवाई का प्रतिवेदनः– प्रत्येक उत्तरवर्ती बैठक में अनुवर्ती कार्रवाई का प्रतिवेदन आयोग के सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें कि वैसे हरेक मद पर की गई कार्रवाई की वर्तमान

...ति दर्शायी जाएगी जिस पर आयोग ने अपने पूर्व की किसी बैठक में कोई निर्णय लिया हो, सिवाय उन मदों के जिन पर आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता न हो।

17. मुख्यालय से बाहर कारबार का संव्यवहारः—आयोग या उसके कतिपय सदस्य मुख्यालय से बाहर के स्थानों पर तभी कारबार का संव्यवहार कर सकेंगे जब अध्यक्ष द्वारा यथा पूर्व अनुमोदन हो परन्तु यदि इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच के संबंध में पक्षकारों की सुनवाई की जानी हो तो ऐसे प्रयोजनों के लिए आयोग की कम से कम दो सदस्यों की पीठ होगी।

18. सचिव—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक वैसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव से अन्यून स्तर के नहीं हो, को आयोग के सविच के रूप में नियुक्त करेगी और राज्य आयोग के कार्यहित में आवश्यकतानुसार अन्य पदाधिकारी एवं कर्मियों को उपलब्ध करायगी।

19. सचिव की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य—(1) सचिव को अधिनियम की धारा 24 के साथ पठित धारा 13, 14, 15 और 23 में यथा उपबंधित आयोग की शक्तियों एवं कृत्यों को कार्यान्वित करने हेतु आयोग द्वारा लिए गये सभी निर्णयों के निष्पादन की शक्ति होगी।

(2) धारा 21 की उपधारा 2 में यथा विनिर्दिष्ट आयोग के दैनंदिनी प्रबंधन और इसके कियाकलापों के समुचित प्रशासन के लिए यथावेक्षित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा यथापेक्षित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) अध्यक्ष के परामर्श से आयोग की बैठकों का आयोजन करेगा और बैठक से संबंधित सभी नोटिसों को तामिल करेगा।

(4) अध्यक्ष के परामर्श से आयोग की बैठक में विशेष सर्म्पकों अथवा सहयोजित सदस्यों को आमंत्रित करेगा।

(5) आयोग की बैठक के आयोजन हेतु अपेक्षित गणपूर्ति सुनिश्चित करने का उपाय करेगा।

(6) आयोग के प्रत्येक बैठक के लिए अध्यक्ष के परामर्शी से कार्य सूची तैयार करेगा तथा सचिवालय से टिप्पणी तैयार करवाएगा और ऐसी टिप्पणीयाँ यथा संभव स्वतः पूर्ण होंगी।

(7) आयोग की कार्य सूची के मदों से संबंधित विनिर्दिष्ट अभिलेखों को निर्देश के लिए उपलब्ध कराएगा।

यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक से कम से कम दो स्पष्ट कार्य दिवस पूर्व सदस्यों को कार्य सूची प्रचारित हो जाए, सिवाय उन मामलों के जिनमें तत्काल ध्यान देने की अपेक्षा हो।

(9) आयोग के बैठकों की कार्यवाही तैयार करेगा और उन बैठकों में आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करेगा तथा आयोग की पश्चातवर्ती बैठकों में आयोग के निर्णयों पर की गयी कार्रवाई के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित करेगा। यदि अपेक्षा की जाए तो निःशक्त व्यक्तियों यथा दृष्टिहीन या श्रवणहीन आदि सामान्यतः बच्चों को कार्य सूची के मदों, टिप्पणियों, प्रतिवेदनों, बैठकों की कार्यवाहियों की गयी कार्रवाई आदि की सुलभता सुनिश्चित करने का उपाय करेगा।

(10) यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग की प्रक्रिया का पालन उसके कार्य संचालन में उसके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(11) अनुदानों की विमुक्ति, पदो के सृजन, वेतनमानों का पुनरीक्षण, वाहनों की उपाप्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति, विधान मंडल के पटल पर वार्षिक और अंकेक्षण प्रतिवेदनों का रखा जाना, निधियों के पुनर्योजन, आवसीय सुविधा, आयोग के किसी पदाधिकारी की विदेश में प्रतिनियुक्त की अनुमति और राज्य सरकार के अनुमोदन की अपेक्षावाले किसी अन्य विषय जैसे सभी विषयों को समाज कल्याण विभाग को प्रेषित करेगा।

(12) आयोग के निमित्त अध्यक्ष द्वारा यथा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, परन्तु एक लाख रूपये से अधिक के व्यय वाले किसी मद पर अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना खर्च नहीं किया जाएगा।

(13) आयोग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।

(14) सचिव, अध्यक्ष द्वारा यथा निदेशित पदाधिकारियों के साथ आयोग की बैठकों में भाग ले सकेगा।

(15) सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से आयोग की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची तैयार करेगा और उस पर सचिवालय द्वारा तैयार टिप्पणी तैयार करवाएगा तथा ऐसी टिप्पणी यथा संभव स्वतः पूर्ण

होगी। कार्य सूची के मदों से संबंधित अभिलेख आयोग के निदेश के लिए उसे आसानी से उपलब्ध कराये जायेगे।

(16) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के देय वेतन एवं भत्ते तथा उनके सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

20. परामर्शी का पैनलः–(1) आयोग के व्यापक कार्यो यथा जॉच–पड़ताल, कार्य दलों या समितियों में कार्य और शोध एवं विश्लेषण के लिए आयोग की सहायता हेतु आयोग परामर्शियों का पैनल गठित कर सकेगा।

(2) पैनल बनाने के लिए आयोग अकादमी शोध, प्रशासनिक, अनुसंधानिक विधिक या सिविल सोसाईटी समूहों से विशेषज्ञों को ले सकेगा।

(3) आयोग इन परामर्शियों को पैनल में लेने के लिए पारदर्शी प्रकिया अपनाएगी ताकि वे कार्यो के शीध्र प्रत्यायोजन के लिए उपलंब्ध रहें।

21. वार्षिक प्रतिवेदनः–(1) राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए आयोग प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पहले वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करेगा।

(2) अध्यक्ष के निदेश पर जब कभी आवश्यक हो, आयोग विनिर्दिष्ट विषयों पर विशेष प्रतिवेदन तैयार करेगा।

(3) ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन एवं विशेष प्रतिवेदन विधान मंडल के हरेक सदन में प्रस्तुत करेगी और उसके साथ आयोग की अनुशंसाओं पर की गई या की जानेवाली कार्रवाई का ज्ञापन तथा अनुशंसाओं की अस्वीकृति, यदि कोई हो, का कारण भी देगी।

(4) वार्षिक प्रतिवेदन में प्रशासनिक और वित्तीय विषयों पर सूचनाएँ, जॉच पड़ताल की गई शिकायतों, मामलों पर की गई कार्रवाई, शोध, समीक्षा, शिक्षा एवं प्रोत्साहन के प्रयासों के ब्यौरे, परामर्श के ब्यौरे और किसी विषय पर आयोग की विशेष अनुशंसाओं के ब्यौरें के साथ–साथ ऐसे अन्य विषय सम्मिलित होंगे, जिसे प्रतिवेदन में शामिल किया जाना आयोग आवश्यक समझे।

(5) आयोग को ऐसा विचार करे कि वार्षिक प्रतिवेदन की तैयारी में विलम्ब हो सकता है तो वह विशेष प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंप सकेगा।

(6) बजट तैयार करने तथा राज्य सरकार को उपलब्ध एवं अग्रसारित कराए जाने के फार्म वही होंगे जो इस नियमावली की अनुसूची 1 के फार्म I, II, III एवं IV के रूप में दिए गए हैं।

(7) प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय के साथ–साथ सुसंगत वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन भी दिया जाएगा।

(8) बजट, यथासंभव इस नियमावली की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट लेखा शीर्ष पर आधारित होगा।

22. वित्तीय शक्तियाँ:–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आयोग राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त धन राशि व्यय करेगा।

(2) सिवाय उन मामलों के जिनमें राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो, अध्यक्ष को वित्तीय सव्यवहार से संबंधित सारी शक्तियाँ होंगी।

(3) पदो के सृजन, नियुक्ति, वेतनमानों के पुनरीक्षण, वाहनों का व्यवस्था, एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष मे निधियों का पुनर्विनियोग, विदेशो में या अन्य राज्यों में विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आयोग के किसी पदाधिकारी को अनुमति प्रदान करने के मामलों में और राज्य सरकार के आदेश द्वारा यथा अवधारित अन्य मामलों में अध्यक्ष राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(4) यथा अवधारित शर्तो, सीमा, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, अध्यक्ष अपनी वित्तीय शक्तियाँ किसी सदस्य या सचिव को प्रत्यायोजित करने के लिए सशक्त होगा परन्तु एक लाख रूपये से अधिक व्यय वाले किसी मद की बाबत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी कोई शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी।

(5) वित्तीय मामलों के संबंध में अध्यक्ष या उनकी ओर से किसी अन्य सदस्य द्वारा लिये गये सभी निर्णयों को कार्यान्वित करने की शक्ति सचिव की होगी।

(6) आयोग सभी वित्तीय शक्तियाँ राज्य वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2005 एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी अन्य नियमों एवं निर्गत अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगी।

आयोग का लेखा और अंकेक्षण--(1) आयोग समुचित लेखा तथा सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण और वार्षिक लेखा विवरण महालेखापरीक्षक, बिहार, पटना के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित फ़ारमों अनुरक्षित करेगा और तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखा का अंकेक्षण महालेखापरीक्षक, बिहार द्वारा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट अंतरालों पर किया जायेगा और ऐसे अंकेक्षण के सिलसिले में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखापरीक्षक, बिहार को भुगतेय होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन आयोग की लेखा का अंकेक्षण के संबंध में महालेखा परीक्षक, बिहार या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार विशेषाधिकार, और प्राधिकार होगा जो महालेखापरीक्षक को सामान्यतः सरकारी लेखाओं के अंकेक्षण के संबंध में होता है तथा खासतौर पर पुस्तों, लेखा, संबंधित अभिश्रवों वाउचरों और अन्य दस्तावेज एवं कागजात की मॉग करने तथा आयोग के कार्यालयों के निरीक्षण का अधिकार होगा।

(4) महालेखापरीक्षक, बिहार या इस निमित्त उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोग के लेख, उसपर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ वार्षिक तौर पर आयोग द्वारा सरकार को अग्रसारित किए जाएगे तथा उसके प्राप्त होने पर सरकार अंकेक्षण प्रतिवेदन को यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के पटल पर रखवाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16-08-10

(रामलखन रविदास)
अपर सचिव,
समाज कल्याण।

ज्ञापांकः--10 / विविध--57 / 2006-- 1691 पटना, दिनांकः-- 16/08/2010

प्रतिलिपिः--सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / महानिदेशक--सह--आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16-08-10

(रामलखन रविदास)
अपर सचिव,
समाज कल्याण।

ज्ञापांकः--10 / विविध--57 / 2006-- 1691 पटना, दिनांकः-- 16/08/2010

प्रतिलिपिः--अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इसे असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 2000 प्रतियाँ मुद्रित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।

16-08-10

(रामलखन रविदास)
अपर सचिव,
समाज कल्याण।

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग

www.bscpcr.org.in

22/बी0, हार्डिंग रोड, पटना, बिहार

0612 2217188

Follow Us

बिहार सरकार

विशेष प्रतिवेदन
(2017-20)

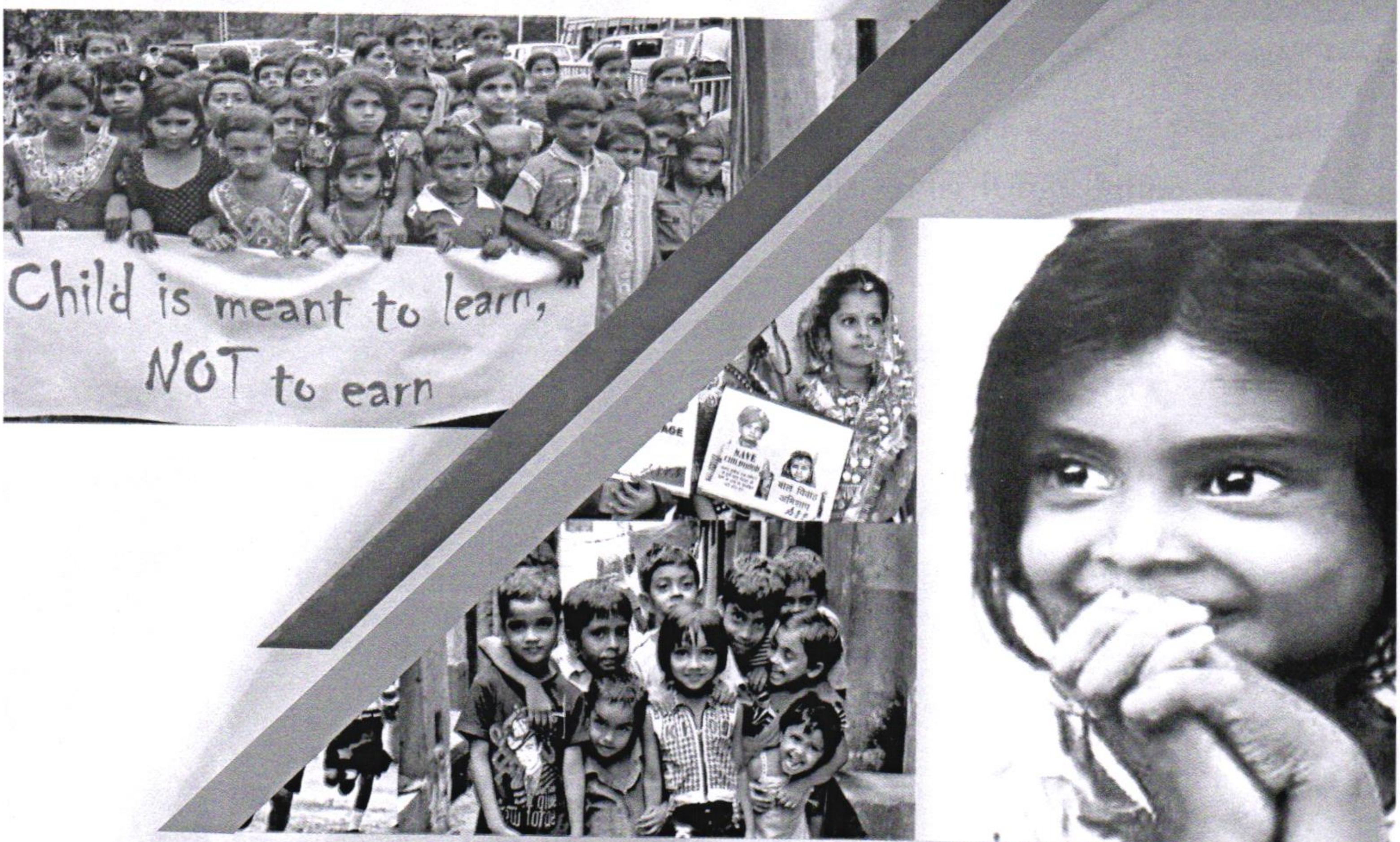

बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
22/बी०, हार्डिंग रोड, पटना, बिहार
ई-मेल: scpcr.bihar@gmail.com
www.http://bscpcr.org.in